न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0सं0 – 35/2024
अजवान : –

1. दीपसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील भादरा।
2. मदनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील भादरा।
3. मोती सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील भादरा।
4. रतनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :–प्रार्थीगण स्वयं

निर्णय दिनांक: 27/1/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 117/105 के मु0न0 36 के किला नं0 3/1, 3/2 मु0न0 91 के किला नं0 17 ता 24 की कुल 2.1500है0 वाद भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के चिपते ही मु0न0 90 के किला नं0 16/1, 16/2, से होकर गुजरते हैं उक्त किलाजात राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज है। किला नं0 16/1, 16/2 के दक्षिण तरफ में मैन रोड़ से लेकर पिछे की भूमि में जाने के लिए 30 फिट का रास्ता काफी समय से आम प्रचलित है जो पिछले 25–30 वर्षों से आमजन द्वारा रास्ता आवागमन के लिए उपयोग किया जाता जा रहा है। अतः प्रार्थीगण उक्त किलाजात में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवा पाने के लिए कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट किया जाकर तहसीलदार भादरा से रास्ता हेतु मौका रिपार्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राज0/25/61 दिनांक 16.01.2025 में उक्त प्रस्तावित रास्ता मु0न0 90 के किला नं0 16/1, 16/2 से होकर बताया है तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य रास्ता का अभाव एवं सड़क से न्यूनतम दूरी का बताया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं राजकीय भूमि से रास्ता हेतु राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प03(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (जिला हनुमानगढ़)

सार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा सीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 9 बारानी के मु0न0 90 के किला न0 16/1, 16/2 प्रत्येक किला में दक्षिणी तरफ 30 फिट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें एवं रास्ता की भूमि के बदले राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (2) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर राजकोष में जमा करने पर ही उक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

आज दिनांक 27/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested